भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3380

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

पीएम-गति शक्ति के अंतर्गत सड़क परियोजना

3380. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पीएम-गति शक्ति के तहत निर्मित एक्सप्रेसवे की राज्य-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ख) तेलंगाना में इस योजना के तहत एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तेलंगाना में पीएम-गति शक्ति योजना के तहत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, जिसमें राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे भी शामिल हैं। सभी एनएच विकास परियोजनाएं, जिनमें पहुँच-नियंत्रित उच्च गति गलियारा (एचएससी) / एक्सप्रेसवे का विकास शामिल है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई हैं।

लगभग 2,474 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे संचालित किए जा चुके हैं, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	राज्य	संचालित लंबाई (किमी)
1	दिल्ली	9
2	गुजरात	310
3	हरियाणा	583
4	कर्नाटक	151
5	मध्य प्रदेश	244
6	राजस्थान	887
7	तेलंगाना	59
8	उत्तर प्रदेश	231

(ख) तेलंगाना राज्य में लगभग 779 किलोमीटर लंबाई के चार राष्ट्रीय एचएससी/एक्सप्रेसवे (हैदराबाद-विशाखापत्तनम, सोलापुर-कुरनूल-चेन्नई, इंदौर-हैदराबाद और नागपुर-विजयवाड़ा कॉरिडोर) विकास के अधीन हैं, जिसमें से 415 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य हो चुका है।

(ग) सरकार ने तेलंगाना राज्य सहित देश भर में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने सहित परियोजना नियोजन अनिवार्य करना।

ख. भूमि अधिग्रहण (एलए) और निर्माण-पूर्व गतिविधियों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को सौंपा जाना।

ग. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करना।

घ. रेलवे द्वारा जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग) के अनुमोदन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।

ङ. परियोजनाओं और अनुबंध दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाकर संविदाकारों के परितंत्र को बढ़ावा देना।

च. विवाद समाधान तंत्र में सुधार।

छ. निधियों की उपलब्धता में सुधार के लिए "आत्मनिर्भर भारत" के तहत करार प्रावधानों में छूट।

ज. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा।

*****